राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 33/2012/सिरोही.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–III, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजगृह उद्योग, रामपुरा, सिरोही. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 28/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 85/आरवेट/सि/10–11 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–सिरोही (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2007–08 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007–08 में विवरण–प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत रूपये 5000/– की शारित आरोपित की गई थी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा कम करते हुए रूपये 2000/– (प्रत्येक तिमाही के लिये रूपये 500/–) की शास्ति को यथावत रखा है एवं अवशेष शास्ति को अपास्त किया गया है क्योंकि अपीलार्थी मासिक करदाता नहीं है तथा वर्ष 2007–08 में त्रैमासिक करदाता पर अधिकतम शास्ति रूपये 500/– ही प्रभावी थी, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा कुल शारित रूपये 5000/– के स्थान पर रूपये 2000/– की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

लगातार.....2

4. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश दिनांक 14.06.2011 की पुष्टि की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य